सत्यप्रतिलिपि संख्या - 6
जारी दिनांक - 27
शब्द संख्या लगभग - 6

अन्तिम आदेश

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :मेरठ,जनपद :मेरठ,तहसील :मेरठ सदर

वाद संख्या :-03670/2019

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201911520103670

श्रीमती सिमरन ठाकुर बनाम उ0प्र0 सरकार

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

ग्राम राली चौहान परगना तहसील व जिला मेरठ।

नकल —:: निर्णय ::

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही प्रार्थिनी श्रीमती सिमरन ठाकुर पत्नि श्री संगीत सोम, निवासी ए–64, कौशाम्बी मैट्रो, साहिबाबाद जिला गाजियाबाद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता के प्रार्थना–पत्र के आधार पर प्रारम्भ हुई, जिसमें प्रार्थिनी ने मुख्य रूप से कथन किया है कि प्रार्थिनी कृषि भूमि खसरा संख्या 30 रकबा 0.1640 है0 व खसरा संख्या 32 क्षेत्रफल 0.7460 है0 स्थित ग्राम राली चौहान परगना तहसील व जिला मेरठ की संक्रमणीय भूमिधर है। प्रार्थिनी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि पर साई शिक्षा समिति ग्राम अम्हैडा आदिपुर के द्वारा एक शैक्षिक संस्था चलायी जा रही है। मौके पर उपरोक्त खसरा नम्बरों में किसी भी प्रकार का कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रार्थिनी ने उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की है। प्रार्थिनी ने अपने कथन के समर्थन में शपथ–पत्र तथा विक्रय विलेख की छायाप्रति दाखिल की हैं।

प्रार्थिनी के प्रार्थना–पत्र पर प्राप्त तहसीलदार मेरठ की आख्या दिनांक 13–08–2019 में मुख्य रूप से उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 30 क्षेत्रफल 0.1640 है0 के रकबा 0.1506 है0 व खसरा संख्या 32 क्षेत्रफल 0.7460 है0 के रकबा 0.6855 है0, कुल नम्बरान 2 कुल रकबा 0.8361 है0 स्थित ग्राम राली चौहान परगना तहसील व जिला मेरठ पर साई शिक्षा समिति ग्राम अम्हैडा आदिपुर द्वारा अध्यक्ष का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने पर न्यूसैन्स की स्थिति नहीं है तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। प्रश्नगत भूमि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा किसी कार्य हेतु अधिग्रहण नहीं की गई है। प्रश्नगत भूमि किसी महायोजना में प्रस्तावित नहीं है। तहसील आख्या में प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 30 क्षेत्रफल 0.1640 है0 के रकबा 0.1506 है0 व खसरा संख्या 32 क्षेत्रफल 0.7460 है0 के रकबा 0.6855 है0, कुल नम्बरान 2 कुल रकबा 0.8361 है0, लगानी परतानुसार को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित कराने हेतु जमा किये जाने वाले उद्घोषणा शुल्क के आगणन के सम्बन्ध में उप निबंधक (प्रथम) मेरठ से आख्या प्राप्त की गयी। उप निबंधक (प्रथम) मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या पत्रांक 224/उ0नि0(प्रथम) मेरठ/2019 दिनांक 14–08–2019 में उल्लिखित किया गया है कि ग्राम अम्हैडा आदिपुर के खाता संख्या 00122 के खसरा संख्या 30 रकबा 0.1506 है0 व खसरा संख्या 32 रकबा 0.6855 है0, कुल नम्बरान 2 कुल रकबा 0.8361 है0 का वर्तमान कृषक भू–दर 1,35,00,000 प्रति हैक्टेयर के अनुसार होगा। इस प्रकार कुल मूल्यांकन 1,12,87,350/– रु0 का 01 प्रतिशत उद्घोषणा शुल्क अंकन 1,12,900/– रु0 व 1 प्रतिशत न्यायशुल्क अंकन 1,12,900/– रु0 अर्थात् कुल शुल्क अंकन – 2,25,800/– रु0 देय होता है। प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को पत्र प्रेषित किया गया। सचिव

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा अपने पत्रांक 401, मु0न0नि0/19 दिनांक 13–08–2019 के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि मेरठ महायोजना – 2021 के ब्रॉड भू–उपयोग के अनुसार ग्राम अम्हैड़ा आदिपुर परगना तहसील व जिला मेरठ के खसरा संख्या 30 व 32 का सम्पूर्ण भाग कृषि क्षेत्र भू–उपयोग के अन्तर्गत आता है। उक्त खसरा संख्या 30 व 32 की भूमि पर निर्माण करने से पूर्व मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ से पूर्व नियमानुसार मेरठ विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराया जाना आवश्यक होगा।

मैंने पत्रावली का भली–भांति अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है प्रश्नगत भूमि खाता संख्या 122 के खसरा संख्या 30 रकबा 0.1506 है0 व खसरा संख्या 32 रकबा 0.6855 है0 पर साई शिक्षा समिति ग्राम अम्हैड़ा आदिपुर द्वारा अध्यक्ष का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है तथा वादी के उपरोक्त भू–भाग में कृषि कार्य नहीं हो रहा है, अपितु साई शिक्षा समिति ग्राम अम्हैड़ा आदिपुर की बिल्डिंग बनी है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध स्थलीय फोटोग्राफ से भी होती है। वादी द्वारा उदघोषणा शुल्क/न्याय शुल्क की कुल धनराशि अंकन 2,25,800/– रु0 (दो लाख पच्चीस हजार आठ सौ रूपये) चालान संख्या HE00283 दिनांक 14 अगस्त, 2019 द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली में संलग्न है। अतः तहसीलदार मेरठ की जांच आख्या तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रश्नगत भूमि को आबादी/अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मेरठ की आख्या दिनांक 13–08–2019 स्वीकार की जाती है। ग्राम राली चौहान परगना तहसील व जिला मेरठ स्थित भूमि खाता संख्या 00122 के खसरा संख्या 30 क्षेत्रफल 0.1640 है0 में से रकबा 0.1506 है0 व खसरा संख्या 32 क्षेत्रफल 0.7460 है0 में से रकबा 0.6855 है0, कुल नम्बरान 2 कुल रकबा 0.8361 है0 लगानी परतानुसार को तहसीलदार मेरठ की आख्या के आधार पर स्टाम्प अपवंचना रोकने के उद्देश्य से आबादी/अकृषिक घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है। तहसीलदार मेरठ की आख्या आदेश का अंग रहेगी। प्रतिबन्ध यह होगा कि उक्त आदेश मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 को अतिक्रमित (Supersede) नहीं करेगा व शर्तो के अधीन पढ़ा जायेगा व समय–समय पर शासकीय संस्थाओं यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्ते/प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाए जाते हैं, जो इस पर पूर्णतः लागू होंगे। मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 के विपरीत यदि स्थल पर कोई कार्य किया जाता है, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक प्रथम मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही राजस्व अभिलेखागार में संग्रहित की जाये।

दिनांक : 14–08–2019

(सुनीता सिंह)
उप जिलाधिकारी,मेरठ।

आज यह निर्णय/आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक : 14–08–2019

(सुनीता सिंह)
उप जिलाधिकारी, मेरठ।

सत्य प्रतिलिपि

आवश्यक मूल्य 13/–
तिथि प्रार्थना पत्र 27/8/19
तिथि नोटिस 27/8/19
तिथि जारी करने 27/8/19

Shiksha Samiti
Meerut